निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–14/20
दायरा दिनांक :–22.01.2022
निर्णय दिनांक :– 29-11-22

उनवान

1. शमशेरखां पुत्र गफूरखां जाति मुसलमान
2. चांद मोहम्मद दत्तक पुत्र ईसब खां जाति मुसलमान
3. पीर मोहम्मद पुत्र इस्माइलखां जाति मुसलमान
4. अब्दुल सलाम पुत्र इस्माइलखां जाति मुसलमान
5. अब्दुल सलीम पुत्र इस्माइलखां जाति मुसलमान
6. शहजाद पुत्र रमजानी जाति मुसलमान
7. सिराज पुत्र रमजानी जाति मुसलमान निवासी बमूलिया गजनपुरा तहसील बारां हाल निवासी बल्लभपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 –वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज0 –प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :– 29-11-22

अभिभाषक उपस्थित :–1.श्री बृजराज सिंह चौहान एड0– वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92 आर0टी0एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बमूलिया गजनपुरा तहसील बारां जिला बारां में आराजियात नया खाता सं0 257 में खसरा नंबर 74 रकबा 0.11 हे0, खसरा नं0 74 रकबा 2.31 हे0 कुल 2 किता रकबा 2.42 हे0 स्थित है। जिसके पुराने खसरा नं0 77 व 78 है जिसका कुल रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा दर्ज है। इस खसरा नबंर 78 का पुराना 89 रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा थे। यह आराजी इस वाद पत्र की विषयवस्तु है। तथा आगे इसे विवादित आराजियात के नाम से वर्णित किया गया है। जो वर्तमान में खाता राज्य सरकार दर्ज है। विवादित भूमि खाता सरकार दर्ज कर दी गई है। जो कि पूर्व में वादीगण के परदादा हंसनखां की खातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। जो हंसनखां के दो पुत्र अहमदखां एवं भूरेखां हुए। अहमदखां व भूरेखां जिनमें अहमदखां लाऔलाद फौत हुआ है। इसलिए संपूर्ण आराजियात का मालिक भूरेखां बना। भूरेखां के दो पुत्र हुए बशीरखां व गफूरखां है। उक्त विवादित आराजियात संपूर्ण भूरेखां के वारिसान में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

होनी चाहिए थी। जबकि राजस्थान सरकार ने उक्त विवादित भूमि सरकार खाता दर्ज कर दी गई है जिसे वादीगण अपने खाते में दर्ज करा पाने के अधिकारी एंव नालिशी है। ईसबखां लाऔलाद फौत हुआ है जिसके चांद मोहम्मद गोद चला गया था। इसलिए इसके हिस्से पर चांद मोहम्मद का नाम दर्ज होना चाहिए था। लेकिन सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा गफल एवं लापरवाही से कार्य करते हुए उक्त आराजी राज्यसरकार के खाते में दर्ज कर दी गई है। जिससे वादीगण के खातेदारी एवं सांपत्तिक अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे है। तथा वे अपनी आराजी का स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे है। ना ही राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त कर पा रहे है। उक्त आराजी राज्य सरकार के खाते दर्ज हो जाने से भविष्य में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार प्रभावित होने से प्रबल संभावना है। ऐसी स्थिति में उक्त संपूर्ण आराजी को वादीगण अपने खाते तनहा रूप से दर्ज करा पाने के अधिकारी एवं नालिशी है। इस हेतु वादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से कई बार अनुरोध किया परन्तु वे कोई ध्यान नहीं दे रहें है। इस कारण इस वाद को प्रस्तुत करने का वाद कारण उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम बमूलिया सम्वत् 2073–76 खाता सं0 257, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–57 ग्राम बमूलिया (गजनपुरा), नकल नक्शा ट्रेस ख0 नं0 74, नकल नक्शा ट्रेस ख0 नं0 75, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2015–24, नकल बन्दोबस्त सम्वत् 1990–93 नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 1994–97, नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2006–2009, नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 1986–1989, पेश की गई। साक्ष्य वादी pw1 शमशेर pw 2 रामकरण, pw 3 रामप्रसाद का शपथ पत्र पेश हुआ।

वादी के वाद पत्र एंव प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः–

तनकी नं0 1:– आया वादपत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजियात वादीगण के तन्हा खातेदारी में दर्ज कर उन्हे खातेदारी में घोषित कर राजस्व रिकार्ड में राज्य सरकार का नाम खारिज दर्ज कर राजस्व रिकार्ड से राज्य सरकार नाम खारिज किया जावे। **–वादीगण**

तनकी नं0 2:– आया वादपत्र में अंकित आराजियात पूर्व में वादीगण के पूर्वज अहमदखां पुत्र हसनखां जाति मुसलमान निवासी गजनपुरा तहसील बारां के नाम राजस्व रिकार्ड बन्दोबस्त जमाबंदी सम्मत 1993 में दर्ज थी। **–प्रतिवादीगण**

तनकी नं0 3:– दादरसी।

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

बहस अभिभाषक सुनी गई। बसह के दौरान वकील वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बमूलिया गजनपुरा में स्थित है। विवादित आराजी सरकार के खाते दर्ज कर दी है। जो कि पूर्व में वादीगण के परदादा हसनखां की खातेदारी में दर्ज थी। हसनखां के दो पुत्र थे। अहमद खां व भूरेखां जिनमें अहमदखां लाऔलाद फोत हो गया है। उक्त विवादित आराजी सम्पूर्ण सरकार के खाते दर्ज कर दी जबकि भूरेखां के वारिसान के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त आराजी राज्य सरकार के खाते दर्ज कर दी। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी वादी खाते दर्ज की जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी के वाद का तनकी वार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है:-

<u>तनकी नं0 1:-</u>इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बमूलिया सम्वत् 2073-76 खाता सं0 257 के अनुसार विवादित आराजी राज्य सरकार के खातेदारी में दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038-57 के अनुसार साबिक खसरा नं0 77,78 के हाल खसरा नं0 74 बना तथा साबिक खसरा नं0 78 का हाल खसरा नं0 75 बना है। परन्तु साबिक खसरा नं0 का कितना रकबा था। यह अंकित नहीं है। नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 1990-93 में अहमदखां बेटा हसनखां दर्ज है। नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 1994-97 में अहमदखां बेटा हसनखां दर्ज रिकार्ड है। नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2006-2007 में अहमदखां बेटा हसनखां दर्ज रिकार्ड है। नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 1986-1988 में हसनखां दर्ज रिकार्ड है। इससे यह साबित होता है। कि विवादित आराजी सम्वत् 1994-97 तक अहमदखां बेटा हसनखां के खातेदारी में दर्ज थी। वादी द्वारा सम्वत् 1994-97 के वाद की जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की है इससे यह साबित नहीं होता है कि किस सम्वत में विवादित आराजी राज्य सरकार के खाते में दर्ज की है वादी द्वारा पर्याप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 2:-</u>इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में बताया कि वादी के पूर्वज अहमदखां पुत्र हसनखां के राजस्व रिकार्ड बन्दोबस्त जमाबन्दी में सम्वत् 1993 में दर्ज थी। वादी यह साबित करने में विफल रहा कि उनके पूर्वजों की भूमि किस सम्वत् में राज्य सरकार के खाते दर्ज की गई है। और राज्य सरकार के खाते क्यों दर्ज की है। स्पष्ट करने में विफल रहे है। वादी इतने लम्बे समय के बाद यह दावा पेश किया है। क्या कारण रहा साबित नहीं कर पाये है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के विवेचन से यह साबित होता है। कि विवादित आराजीयात से सम्बधित पर्याप्त रिकार्ड प्रस्तुत करने में विफल रहे है। वादी द्वारा अपने वाद

उपखण्ड अधिकारी
बं.।

Scanned with CamScanner

पत्र में पर्याप्त रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। वादी द्वारा इतने समय बाद यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा सटेलमेन्ट विभाग द्वारा गलती किया जाना बताया है। सेटलमेन्ट की

गलती को दुरूस्त करवाने हेतु धारा 136 एल0आर0 एक्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था वादी को सरकारी भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 14 / 2020	अन्तर्गत 88,89,90,91,92आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक- 29.11.22
समक्ष श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति अभिभाषकवादी-श्री बृजराज सिंह चौहान	अभिभाषक प्रतिवादी-श्री	

वाद शीर्षक

उनवान

1. शमशेरखां पुत्र गफूरखां जाति मुसलमान
2. चांद मौहम्मद दत्तक पुत्र ईसब खां जाति मुसलमान
3. पीर मौहम्मद पुत्र इस्माइलखां जाति मुसलमान
4. अब्दुल सलाम पुत्र इस्माइलखां जाति मुसलमान
5. अब्दुल सलीम पुत्र इस्माइलखां जाति मुसलमान
6. शहजाद पुत्र रमजानी जाति मुसलमान
7. सिराज पुत्र रमजानी जाति मुसलमान निवासी बमूलिया गजनपुरा तहसील बारां हाल निवासी बल्लभपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 —वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज0 —प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 29.11.22 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		

Scanned with CamScanner